GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING

RAJYA SABHA
STARRED QUESTION NO*62
TO BE ANSWERED ON 26.07.2021

POLICY FOR ATTRACTING INTERNATIONAL FILM MAKERS

***62. SHRI JOHN BRITTAS**

Will the Minister of Information and Broadcasting be pleased to state:

(a) whether Government has recently announced that it will set up a facilitation centre for international film makers with a single window clearance system to process the applications;

(b) if so, the details thereof;

(c) whether specific policies have been designed for sectors like Visual Effects (VFX) animation and other related areas to attract investments from major film markets abroad; and

(d) if so, the details thereof?

ANSWER

THE MINISTER OF INFORMATION & BROADCASTING; AND MINISTER OF YOUTH AFFAIRS AND SPORTS
(SHRI ANURAG SINGH THAKUR)

(a) to (d): A Statement is laid on the Table of the House.

STATEMENT AS REFERRED TO IN REPLY TO PARTS (a) to (d) OF RAJYA SABHA STARRED QUESTION NO *62 FOR REPLY ON 26.07.2021

(a) and (b):With a view to promote ease of doing business in the film sector and promote India as a filming destination for attracting investment from foreign film makers, Film Facilitation Office (FFO) was set up by the Ministry of Information & Broadcasting in 2015. The web portal www.ffo.gov.in provides a single window facilitation and clearance mechanism to both international and domestic film makers. 115 international projects of feature films, television series and web shows from across 27 countries have been accorded permissions to film in India under this mechanism.

(c) and (d):Media & Entertainment sector is one of the fastest growing sectors in the country. For attracting foreign investment in the film Industry, National Film Development Corporation under the aegis of Ministry of Information & Broadcasting organises Film Bazaar at the International Film Festival of India held at Goa, India every year. It is the largest South Asian Film Market and attracts investors from around the world by encouraging creative and financial collaboration between the South Asian and International film communities. India has audio-visual co-production treaties with 15 countries, involving effective contribution of technical, creative and artistic personnel of the participant countries. These further enable international producers to invest in Indian projects.

Local IP creation and outsourcing work for Western studios are key drivers of growth in the Animation, Visual Effects, Gaming and Comics sector. In order to support skilled manpower in the animation and VFX sector, Satyajit Ray Film & Television Institute and Film and Television Institute of India run courses on Animation and VFX. The Ministry has also decided to set up a National Centre of Excellence for Animation, Visual Effects, Gaming and Comics in collaboration with Indian Institute of Technology, Bombay for creating a world class talent pool in India to cater to the Indian as well as global industry.

*****

भारत सरकार

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न संख्या 62

(दिनांक 26.07.2021 को उत्तर देने के लिए)

अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं को आकर्षित करने के लिए नीति बनाया जाना

***62. श्री जॉन ब्रिटासः**

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने हाल ही में यह घोषणा की है कि वह अंतरराष्ट्रीय फिल्म निर्माताओं के आवेदनों को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से उनके लिए एकल खिड़की स्वीकृति प्रणाली से लैस सुविधा केन्द्र स्थापित करेगी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या विदेशों के प्रमुख फिल्म बाजारों से निवेश को आकर्षित करने के लिए विजुअल इफेक्ट्स (वीएफएक्स) एनिमेशन जैसे क्षेत्रों तथा अन्य संबंधित क्षेत्रों के लिए विशिष्ट नीतियां तैयार की गई हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सूचना और प्रसारण; और युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (घ): एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

दिनांक 26.07.2021 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 62 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) और (ख): फिल्म क्षेत्र में व्यवसाय करना आसान बनाने को बढावा देने और विदेशी फिल्म निर्माताओं से निवेश आकर्षित करने के लिए भारत को फिल्मांकन गन्तव्य स्थल के रूप में बढ़ावा देने के उद्देश्य से, वर्ष 2015 में सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्वारा फिल्म सुविधा कार्यालय (एफएफओ) स्थापित किया गया। वेब पोर्टल www.ffo.gov.in अंतर्राष्ट्रीय और घरेलू, दोनों फिल्म निर्माताओं के लिए एकल खिडकी सुविधा और मंजूरी तंत्र प्रदान करता है। दुनिया भर के 27 देशों से फीचर फिल्मों, टेलिविजन सीरीज और वेब शो की 115 अंतर्राष्ट्रीय परियोजनाओं को इस तंत्र के तहत भारत में फिल्मांकन की अनुमति प्रदान की गई है।

(ग) और (घ): मीडिया एवं मनोरंजन क्षेत्र देश में सबसे तेजी से बढ़नेवाले क्षेत्रों में एक है। फिल्म उद्योग में विदेशी निवेश आकर्षित करने के लिए, सूचना और प्रसारण मंत्रालय के तत्वावधान में राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम प्रति वर्ष गोवा, भारत में आयोजित किए जाने वाले भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में फिल्म बाजार का आयोजन करता है। यह सबसे बड़ा दक्षिण एशियाई फिल्म बाजार है और दक्षिणी एशियाई और अंतर्राष्ट्रीय फिल्म समुदायों के बीच रचनात्मक और वित्तीय सहयोग को प्रोत्साहित करके दुनियाभर के निवेशकों को आकर्षित करता है। भारत की 15 देशों के साथ ऑडियो-विजुअल सह-निर्माण संधि है जिसमें भागीदार देशों के तकनीकी, रचनात्मक और कलात्मक कार्मिकों का प्रभावी योगदान शामिल है। इनसे अंतर्राष्ट्रीय निर्माताओं को आगे भारतीय परियोजनाओं में निवेश करने हेतु सहायता मिलती है।

वेस्टर्न स्टूडियों के लिए लोकल आईपी सृजन और आउटसोर्सिंग कार्य एनिमेशन, विजुअल इफेक्टस, गेमिंग और कॉमिक्स सेक्टर में वृद्धि के प्रमुख कारक हैं। एनिमेशन और वीएफएक्स क्षेत्र में कुशल कार्मिकों को सहायता देने के उद्देश्य से सत्यजीत रे फिल्म एवं टेलीविजन संस्थान और भारतीय फिल्म एवं टेलिविजन संस्थान एनिमेशन और वीएफएक्स पर पाठयक्रम संचालित करते हैं। मंत्रालय ने भी भारतीय और वैश्विक उद्योग की आवश्यकता पूरी करने के लिए भारत में एक विश्व स्तरीय प्रतिभा पूल का सृजन करने के लिए भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, बम्बई के सहयोग से एनिमेशन, विजुअल इफेक्टस, गेमिंग और कॉमिक्स के लिए राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने का निर्णय लिया है।

*****

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No.62; Shri John Brittas. Mr. Minister, please lay the answer.

SHRI ANURAG SINGH THAKUR: Sir, the reply is laid on the Table of the House.

MR. DEPUTY CHAIRMAN: Question No.63.